भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 398
दिनांक 22 जुलाई, 2025 / 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की रोकथाम

398. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भूस्खलन, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं की समस्याओं को रोकने या कम करने के लिए सेवा का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किसी भी योजना के अंतर्गत उठाए गए कदमों का तथा इसके लिए आवंटित और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में, विशेष रुप से राजस्थान राज्य सहित, ग्राम पंचायत स्तर पर भूस्खलन और बाढ़ आदि जैसी आपदाओं के जोखिम को कम करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या है;

(घ) यदि हैं, तो किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ) आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु उचित तैयारी, शमन और त्वरित मोचन उपाय करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुस्थापित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं।

केंद्र सरकार ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जोखिम को कम करने हेतु देश में प्रभावी शमन उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं। इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें और स्वीकृत महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं: -

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 398, दिनांक 22.07.2025

(i) पंद्रह (15) राज्यों में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1000 करोड़ रुपये है। इसमें एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 900 करोड़ रुपये है । ये 15 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं। अब तक उत्तराखंड राज्य को 4.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ii) इससे पहले, वर्ष 2019 में, चार (04) राज्यों अर्थात सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखंड के लिए 43.91 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ भूस्खलन जोखिम शमन योजना (LRMS) को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के प्रमुख परिणामों में भूस्खलन शमन, वास्तविक समय निगरानी, जागरूकता कार्यक्रम और क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण शामिल हैं।

(iii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने विभिन्न स्रोतों जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) से प्राप्त विविध इनपुट डेटा के वास्तविक समय एकीकरण के लिए और भूसंकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप आदि जैसे समर्पित माध्यमों के माध्यम से भूस्खलन पूर्व चेतावनी बुलेटिनों के पूर्वानुमान और प्रसार के लिए कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (एनएलएफसी) की स्थापना की है।

(iv) भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिए, जीएसआई ने ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (बीजीएस) के सहयोग से भारत के लिए एक प्रोटोटाइप क्षेत्रीय भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली (एलईडब्ल्यूएस) विकसित की है। भारत के तीन जिलों, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों और तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में इस मॉडल का मूल्यांकन और परीक्षण शुरू हो गया है।

(v) जीएसआई, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) और सभी संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) जैसे विभिन्न हितधारकों के सहयोग से, छह अन्य राज्यों के 18 जिलों में प्रायोगिक भूस्खलन पूर्वानुमान बुलेटिन उपलब्ध करा रहा है। इन बुलेटिनों में तालुका/उप-मंडल स्तर तक की पूर्वानुमान जानकारी होती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 398, दिनांक 22.07.2025

(vi) सात (07) शहरों अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएं, जिनका कुल वित्तीय परिव्यय 3075.65 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 2482.62 करोड़ रुपये है। अब तक, इन सात शहरों को 709.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(vii) चार (04) राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 150 करोड़ रुपये है। एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 135 करोड़ रुपये है और अब तक 27.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

(viii) बारह (12) सूखा प्रवण राज्यों के लिए उत्प्रेरक सहायता, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 2022.16 करोड़ रुपये है, जिसमें से एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 1200 करोड़ रुपये है। ये 12 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं ।

(ix) दस (10) राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन के लिए आकाशीय बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 186.78 करोड़ रुपये है। आकाशीय बिजली सुरक्षा के लिए एनडीएमएफ से केंद्रीय हिस्सा 121.14 करोड़ रुपये है।

(x) उन्नीस (19) राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में क्रियान्वयन के लिए वन अग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु शमन योजना जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 818.92 करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत एनडीएमएफ और एनडीआरएफ से केंद्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये है। इस योजना के लिए पहचाने गए राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड हैं।

(xi) लोगों तक समय पर पूर्व चेतावनी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम (सचेत) शुरू किया है। सीएपी प्लेटफॉर्म सभी अलर्ट जनरेट करने वाली एजेंसियों यानि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरइ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) को सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के साथ एकीकृत करता है, जो एसएमएस, मोबाइल ऐप, ब्राउज़र अलर्ट, आरएसएस फ़ीड और गगन तथा नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से भी क्षेत्रीय भाषाओं में भू-लक्षित अलर्ट/चेतावनी जारी करने में सक्षम हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न. संख्या 398, दिनांक 22.07.2025

सीएपी प्लेटफॉर्म का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अलर्ट प्रसारित करने के लिए किया गया है। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। सीएपी का उपयोग करके अब तक 6400 करोड़ से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए जा चुके हैं।

(xii) केंद्र सरकार ने आपदा मित्र योजना भी लागू की है, जिसके तहत, 350 जिलों, जो भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ प्रवण हैं (राजस्थान के 13 जिलों के 4700 स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण सहित) को कवर करते हुए 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को आपदा मोचन में प्रशिक्षित किया गया है।

(xiii) केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएस एंड जी) के 2,37,326 स्वयंसेवकों को (राजस्थान के 13 जिलों के 12650 स्वयंसेवकों सहित) आपदा मोचन में प्रशिक्षित करने के लिए "युवा आपदा मित्र योजना" (वाईएएमएस) भी शुरू की है।

जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण घटक ऐसे शमन कार्यक्रमों के प्रमुख घटकों में से एक हैं। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना के तहत, "समुदायों और पंचायत राज संस्था के सदस्यों के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम, भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में एक ग्राम टास्क फोर्स का निर्माण सहित" नामक एक उप-घटक है, जिसके लिए 14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना के तहत, 19 राज्यों के 144 चिन्हित जिलों में ग्राम पंचायतों को बुनियादी उपकरणों और अग्निशमन कौशल से लैस करने के लिए 22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आकाशीय बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना के तहत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के टास्क फोर्स के सदस्यों और गांव के लिए मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक उप-घटक है, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण, बारह (12) सूखा प्रवण राज्यों के कार्यक्रम के लिए उत्प्रेरक सहायता के घटकों में से एक है। राजस्थान राज्य के लिए, कृषि क्षेत्रों को सूखा-रोधी बनाने के संबंध में किसानों के प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

***